

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103001862010

दांडिक प्रकरण क.-55 / 10

संस्थापित दिनांक-10.03.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
अभियोजन	
विरुद्ध	
01-कालूराम उर्फ कल्लू पुत्र उम्मेदा हरिजन आयु 33 वर्ष निवासी ग्राम सीगोन, चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	
आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री तनवीर जाफरी अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 07.11.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 507 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी

सुनीता अहिरवार ने दिनांक 26.01.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 25.01.10 से 26.01.10 के मध्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल नंबर 8871578058 एवं 8871517548 से फोन कर जान से मारने की धमकी एवं गालियां दी गई। फरियादी की रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात व्यक्ति अपना नाम नहीं बता रहा है तथा जान से मारने की धमकी देता है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 29/10 के अंतर्गत भादवि की धारा 507 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 507 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.01.10 की रात्रि से लेकर 26.01.10 से 15:45 बजे तक फरियादिया सुनीता को अनाम मोबाइल नंबर से जान से मारने की धमकी तथा अश्लील गालियां देकर अभित्रास कारित किया ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 सुनीता, अ.सा.2 हेमंत, अ.सा.3 सुशीलाबाई, अ.सा.4 बद्रीप्रसाद, अ.सा.5 एन पी मौर्य की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 सुनीता ने अपने कथन में बताया है कि घटना वर्ष 2010 की है उसके मोबाइल पर फोन आया जो उसके लडके ने उठाया तथा फोन करने

वाले ने गाली गलोच की थी तथा रात को फिर फोन आया था। उक्त साक्षी के अनुसार 26 जनवरी को पुनः फोन आया था तथा फोन करने वाले ने फोन काट दिया था। अ.सा. 1 के अनुसार दूसरे नंबर से भी फोन आया था तथा फोन उठाने पर फोन करने वाले ने गालियां दी थी। अ.सा.1 के अनुसार जब वह थाने पहुंची तब फिर फोन आया तो फोन करने वाले ने बोला था कि यदि उसने थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगा। अ.सा.1 के अनुसार उसे नहीं पता चला कि फोन कौन करता था। फिर उसने प्र0पी01 का आवेदन थाने में दिया था। उक्त साक्षी को पक्षद्रोही कर प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी का कहना है कि बाद में कॉल डिटेल् से पता चला था कि मोबाइल कालूराम का है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी उसके रिश्ते में देवर लगता है तथा फोन आने से पहले उसका विवाद हुआ था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से उसका दो माह पहले घरेलू बात पर से झगडा हो गया था।

08— अ.सा.2 हेमन्त ने बताया है कि फरियादिया उसकी मां है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पिता के मोबाइल पर फोन आया था तथा फोन उठाने पर आरोपी गालियां दे रहा था। जिस नंबर से फोन आया था वह उसे पता नहीं है। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे पता नहीं है कि फोन पर आई आवाज आरोपी की थी या नहीं। अ.सा.3 सुशीलाबाई ने अपने कथन में बताया है कि सुनीताबाई ने उसे बताया था कि कोई व्यक्ति बार बार उसे फोन लगा रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे नहीं पता कि जो व्यक्ति फोन करता था वह किस नंबर से करता था। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि फोन पर उसने किसी भी गाली गलोच वाली बात नहीं सुनी है। उक्त साक्षी ने मोबाइल नंबर प्र0पी03 में लिखाने से इंकार किया है। अ.सा.4 बद्रीप्रसाद ने भी अपने कथन में बताया है कि सुनीता बाई ने उसे बताया था कि कोई व्यक्ति फोन करके परेशान कर रहा है और गालियां दे रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार सुनीताबाई ने फोन करने वाले का मोबाइल नंबर बताया था। उक्त साक्षी के अनुसार जब वह खेत पर जा रहा था तब सुनीताबाई ने उसे फोन दिया और जब उसने उसका फोन लिया तब किसी ने उससे बात नहीं की और फोन काट

दिया था।

09— अ.सा.5 एन पी मौर्य ने अपने कथन में बताया है कि उसने दिनांक 19.02.10 को प्रस्तुत प्रकरण में कायमी की थी जो प्र0पी05 है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये थे तथा आरोपी को गिरफ्तार किया था। अ.सा.5 के अनुसार उसने प्र0पी07 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की थी तथा उसने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त सी डी आर प्र0पी08 प्रकरण में प्रस्तुत की है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी किस कंपनी की सिम उपयोग कर रहा था इसकी जानकारी संबंधित कंपनी से प्राप्त नहीं हुई थी। उक्त साक्षी के अनुसार जप्ती के गवाह पहले से उपस्थित थे तथा उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि किसी भी साक्षी ने आरोपी का नाम अपने कथनों में नहीं बताया है।

10— अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि एक भी साक्षी ने आरोपी का नाम अपने कथनों में नहीं लिया है। अ.सा.1 के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि आरोपी का उससे पूर्व में बिवाद हुआ था। फरियादी ने जिन मोबाइल नंबरों के बारे में अपने कथन में बताया है उनके संबंध में उक्त मोबाइल सिम के स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अभियोजन द्वारा जो सी डी आर प्र0पी0 8 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उन्हें प्रमाणित करने हेतु धारा 65बी साक्ष्य विधान के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि उक्त दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए परम आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि सी डी आर प्र0पी08 कम्प्यूटर के माध्यम से निकाला गया एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसके प्रमाणित करने के लिए धारा 65बी साक्ष्य विधान के प्रावधानों की पूर्ती होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से धारा 65बी साक्ष्य विधान के अंतर्गत आवश्यक घटकों की पूर्ती नहीं की गई है। उक्त सी डी आर का प्रिंट निकालने वाले व्यक्ति की साक्ष्य भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त सी डी आर प्र0पी08 प्रमाणित नहीं होता।

11— प्र0पी08 के अतिरिक्त अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा कि उक्त घटना दिनांक को अपने मोबाइल फोन से फरियादिया को फोन लगाकर गालियां दी गई थी एवं जान से मारने की धमकी दी गई थी। अभियोजन द्वारा जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि आरोपी द्वारा ही फरियादिया को उक्त घटना दिनांक में मोबाइल फोन से फोन करके जान से मारने की धमकी दी गई एवं अश्लील गालियां दी गई।

12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 507 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक मोबाइल स्पाइश कंपनी का 4242, एवं सिम टाटा डोकोमो सिम नंबर 8982494579 दस्तावेज पेश किये जाने पर संपत्ति के मूलस्वामी को वापिस किये जावे।

15— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)